



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38571-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3895/2026

श्रीमती अनीसा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देव प्रकाश शर्मा, प्रियंका देवी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है :-

"(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया जाए कि वह दिनांक 13.01.2026 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में निष्पक्ष जांच करे - जो मुकदमा अपराध संख्या 14/2026 के रूप में, धारा 70(1), 351(2) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस थाना- कोतवाली नगर (महोबा), जिला- महोबा में पंजीकृत है - और

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के विरुद्ध धारा 173 सीआरपीसी के तहत अवर अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(ii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया जाए कि वह कथित आरोपी को गिरफ्तार करे और उसे जेल भेजे - यह कार्रवाई दिनांक 13.01.2026 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में की जाए, जो केस क्राइम संख्या 14/2026 के रूप में, धारा 70(1), 351(2) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस थाना- कोतवाली नगर (महोबा), जिला- महोबा में पंजीकृत है - और यह कार्रवाई जांच के लंबित रहने के दौरान की जाए।

(iii) कोई अन्य और अतिरिक्त आदेश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित और सही समझे।

(iv) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिलाया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ही प्रथम सूचनादाता है, और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. दिनांक 13.01.2026 को दर्ज की गई थी, फिर भी पुलिस मामले की जांच निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 - पुलिस अधीक्षक, महोबा के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें वह अपनी शिकायत को उजागर करते हुए निष्पक्ष और तटस्थ जाँच की माँग कर सकती है; और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 - पुलिस अधीक्षक, महोबा, इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जाँच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता) (न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”